WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT
DIST. INDORE

COMMUNITY SUPPORT CENTER FOR PROTECTION OF VULNERABLE CHILDREN

Dt. 14 - 15/10/2023

दत्तक ग्रहण योजना की प्रगति

क्र	संस्था का नाम	In Country				Inter Country				Inter Country Name
	वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
1	राजकीय बाल संरक्षण आश्रम	05	02	01	02	03	00	00	00	02-USA 01-France
2	सेवाभारती मातृछाया	09	09	18	11	01	00	00	00	01-Italy
3	संजीवनी सेवा संगम	06	06	10	15	01	01	01	00	01-USA 01-Malta 01- Italy
कुल		20	17	29	18	05	01	01	00	

फॉस्टर केयर/स्पॉन्सरशिप वित्तीय वर्ष 2023–24

फॉस्टर केयर

पालन पोषण देखरेख एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें बालकों को घर जैसे पारिवारिक माहौल में वैकल्पिक देखभाल के उद्द्देश्य से, असंबंधित परिवारों के सदस्यों के साथ देखभाल और संरक्षण हेतु आवश्यकताओं के अनुसार रखा जाता है। पूर्व में योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियो को रु 2000/- प्रति माह प्रदाय किया जाता था। वर्ष 2023-24 में मिशन वात्सल्य अंतर्गत सहायता राशि रु 4,000/- की गयी है।

स्पॉन्सरशिप

इस योजना का उददेश्य निम्नानुसार है जिसमें शासकीय प्रायोजन(स्पांसरशिप) सहायता से–

1. बच्चों को उनके जैविक परिवार से अलग होने से रोकना।
2. बाल देखरेख संस्था में रहने वाले बच्चे/मुक्त कराये गये बच्चों को उनके जैविक परिवार में भेजकर पुनर्वासित करना एवं उनका समग्र विकास करना ।
3. बाल देखरेख संस्था/परिवार में बाल देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का समग्र विकास करने हेतु सहायता प्रदान करना।
4. सामाजिक रूप से सक्षम परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के/बाल देखरेख संस्था में रहने वाले बच्चों के विकास में सहयोग हेतु जोडना।
5. पूर्व में योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियो को रु 2000/- प्रति माह प्रदाय किया जाता था। वर्ष 2023-24 में मिशन वात्सल्य अंतर्गत सहायता राशि रु 4,000/- की गयी है।

फॉस्टर केयर/स्पॉन्सरशिप वित्तीय वर्ष 2023–24

योजना	लक्ष्य	स्वीकृत प्रकरण	नवीन स्वीकृत प्रकरणों की संख्या		
			बालक	बालिका	कुल
फॉस्टर केयर	40	25	05	20	25
स्पॉन्सरशिप		17	10	07	17
योग	40	42	15	27	42

निजी स्पॉन्सरशिप

कोविड 19 माता या पिता में से किसी एक को खोने वाले बच्चो को दानदाता, समाजसेवी, संगठन, स्वयंसेवी संस्थान आदि के माध्यम से बच्चो को रु 2000/- प्रति बच्चा प्रति माह एक वर्ष हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

योजना	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या		
		बालक	बालिका	कुल
निजी स्पॉन्सरशिप	523	216	307	523

1. वर्ष 2023-24 में मिशन वात्सल्य लागू होने के उपरांत इंदौर जिला अंतर्गत कुल 924 बालक-बालिकाओ के प्रस्ताव sponsorship foster care approval committee से स्वीकृति उपरांत कर संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग म.प्र. भोपाल को प्रेषित किए गए है।
2. कोविड 19 से अपने पिता को खोने वाले 320 बालक-बालिकाओ को कलेक्टर महोदय जिला इंदौर द्वारा भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से रु 10,000/- प्रति बच्चा सहायता राशि प्रदान की गयी है।

मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना की जानकारी

योजना अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता/अभिभावकों की मृत्यु दि. 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच कोविड-19 से या किसी भी कारणवश हुई थी । ऐसे अनाथ हुये बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता, खाद्य सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने हेतु "मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना" की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र	पात्र प्रकरणों की संख्या	पात्र प्रकरणों को प्रदाय किये जा रहै लाभ की जानकारी	रिमार्क
1	56	• पात्र सभी बालक/बालिकाओं को प्रतिमाह राशि रु. 5000/– का भुगतान किया जाता है। • सभी बालक/बालिकाओं को राशन प्रदाय किया जा रहा है। • सभी बालक/बालिकाओं को शिक्षा संबंधी सहायता प्रदाय की जा रही है।	योजना अंतर्गत इंदौर जिले में पात्र 05 बालिकाओं एवं 03 बालकों ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है एवं बालक/बालिकाओं का स्नातक पूर्ण होने से योजना गाईड लाईन अनुसार उक्त बालक/बालिकाओं को राशि का भुगतान नही किया जा रहा है।

पी.एम.केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की जानकारी

योजना अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता/अभिभावकों की मृत्यु दि. 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2023 के बीच कोविड-19 के कारणवश हुई थी । ऐसे अनाथ हुये बच्चो को शिक्षा, 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य बीमा, एवं संरक्षण प्रदान करने हेतु “पी एम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना” की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना मे इसके अतिरिक्त 18 वर्ष के कम आयु के बच्चो को 4000/- प्रतिमाह स्पोंसरशिप एवं 20000/- प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है।

क्र	पोर्टल पर दर्ज कुल प्रकरणों की संख्या	पात्र प्रकरणों की संख्या	अपात्र प्रकरणों की संख्या	रिमार्क
1	75	32	43	सभी पात्र 32 बालक/बालिकाओं को योजना गाईड लाईन अनुसार सभी लाभ प्रदाय किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद योजना की जानकारी

ऑफ्टर केयर अन्तर्गत पात्रता

- ऑफ्टर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे।
- अनाथ/ परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी।
- दत्तक ग्रहण / फॉस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाया गया तथा दत्तक ग्रहण/ फॉस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना पात्रता अवधि में शामिल होगी।

स्पॉन्सरशिप अन्तर्गत पात्रता

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत् पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।

योजना	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या		
		बालक	बालिका	कुल
स्पोसरशीप	90	44	46	90
केयर लीवर्स	32	08	24	32
कुल	122	52	70	122

ऑफ्टर केयर अन्तर्गत पात्रता

- ऑफ्टर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्त हुए बालक-बालिकाओ को 21 वर्ष की आयु तक रु 4,000/- प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाती है।

योजना	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या		
		बालक	बालिका	कुल
आफ्टरकेयर	**41**	**06**	**35**	**41**

THANK YOU